"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—कार्तिक 3, शक 1935

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक 08/चार/वि. स. चु./2013 .— यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार छत्तीसगढ राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 04 जनवरी, 2014 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी - और

यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) की शर्तों पर राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है-

अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ राज्य के राज्यपाल, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें.

सारणी

वि. स. क्र.	विधान सभा का नाम
1	भरतपुर-सोनहत (अ. ज. जा.)
2	मनेन्द्रगढ
3	बैकुन्ठपुर
4	प्रेमनगर
5	भटगांव

वि. स. क्र.	विधान सभा का नाम
6	प्रतापपुर (अ. ज. जा.)
7	रामानुजगंज (अ. ज. जा.)
8	सामरी (अ. ज. जा.)
9	लूण्ड्रा (अ. ज. जा.)
10	अंबिकापुर
11	सीतापुर (अ. ज. जा.)
12	जशपुर (अ. ज. जा.)
13	कूनकुरी (अ. ज. जा.)
14	पत्थलगांव (अ. ज. जा.)
15	लैलूंगा (अ. ज. जा.)
16	रायगढ़
17	सारंगढ़ (अ. जा.)
18	खरसिया
19	धरमजयगढ़ (अ. ज. जा.)
20	रामपुर (अ. ज. जा.)
21	कोरबा
22	कटघोरा
23	पाली-तानाखार (अ. ज. जा.)
24	मरवाही (अ. ज. जा.)
25	कोटा
26	लोरमी
27	मुंगेली (अ. जा.)
28	तखतपुर
29	बिल्हा
30	बिलासपुर
31	बेलतरा
32	मस्तुरी (अ. जा.)
33	अकलतरा
34	जांजगीर-चांपा
35	सक्ति
36	चंद्रपुर
37	जैजेपुर
38	पामगढ़ (अ. जा.)
39	सरायपाली (अ. जा.)
40	बसना
41	खल्लारी

वि. स. क्र.	विधान सभा का नाम
42	महासमुन्द
43	बिलाईगढ़ (अ. जा.)
44	कसडोल
45	बलौदाबाजार
46	भाटापारा
47	धरसींवा
48	रायपुर ग्रामीण
49	रायपुर शहर पश्चिम
50	रायपुर शहर उत्तर
51	रायपुर शहर दक्षिण
52	आरंग (अ. जा.)
53	अभनपुर
54	राजिम
55	बिन्द्रानवागढ़ (अ. ज. जा.)
56	सिहावा (अ. ज. जा.)
57	कुरूद
58	धमतरी
59	संजारी बालोद
60	डौंडीलोहारा (अ. ज. जा.)
61	गुंडरदेही
62	पाटन
63	दुर्ग ग्रामीण
64	दुर्ग शहर
65	भिलाई नगर
66	वैशाली नगर
67	अहिवारा (अ. जा.)
68	साजा
69	बेमेतरा
70	नवागढ़ (अ. जा.)
71	पंडरिया
72	कवर्धा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

Raipur, the 25th October 2013

NOTIFICATION

No. 08/04/V. S. E./2013. — WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Asssembly of the State of Chhattisgarh, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 04th January, 2014 and shall thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Chhattisgarh is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State specified in the Table below, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

TABLE

AC No.	Name of AC
1	Bharatpur- Sonhat (ST)
2	Manendragarh
3	Baikunthpur
4	Premnagar
5	Bhatgaon
6	Pratappur (ST)
7	Ramanujganj (ST)
8	Samri (ST)
9	Lundra (ST)
10	Ambikapur
11	Sitapur (ST)
12	Jashpur (ST)
13	Kunkuri (ST)
14	Pathalgaon (ST)
15	Lailunga (ST)
16	Raigarh
17	Sarangarh (SC)
18	Kharsia
19	Dharamjaigarh (ST)
20	Rampur (ST)
21	Korba
22	Katghora
23	Pali-Tanakhar (ST)
24	Marwahi (ST)
25	Kota
26	Lormi
27	Mungeli (SC)
28	Takhatpur

AC No.	Name of AC
29	Bilha
30	Bilaspur
31	Beltara
32	Masturi (SC)
33	Akaltara
34	Janjgir-Champa
35	Sakti
36	Chandrapur
37	Jaijaipur
38	Pamgarh (SC)
39	Saraipali (SC)
40	Basna
41	Khallari
42	Mahasamund
43	Bilaigarh (SC)
44	Kasdol
45	Baloda Bazar
46	Bhatapara
47	Dharsiwa
48	Raipur Rural
49	Raipur City West
50	Raipur City North
51	Raipur City South
52	Arang (SC)
53	Abhanpur
54	Rajim
55	Bindranawagarh (ST)
56	Sihawa (ST)
57	Kurud
58	Dhamtari
59	Sanjari Balod
60	Dondi Lohara (ST)
61	Gunderdehi
62	Patan
63	Durg-Rural
64	Durg City
65	Bhilai Nagar
66	Vaishali Nagar
67	Ahiwara (SC)
68	Saja
69	Bemetara
70	Nawagarh (SC)
71	Pandariya
72	Kawardha

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR, Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.